

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

No. I-14013/158/2012-IPS.I

Government of India / भारत सरकार

Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

1 2 JAN 2015

New Delhi, the January, 2015

NOTIFICATION

Consequent upon inclusion of the name of Smt. Rama Rakshit at Sl. No. 01A below the name of Shri Pradip Paul (Sl. No. 01) and above the name of Shri Arindam Nath (Sl. No. 02) in the Select List of 2009 and the approval of the Union Public Service Commission on 24.12.2014 to the recommendations of the Review Selection Committee which met on 29.09.2014 to review the Select List of 2009 to consider the name of Smt. Rama Rakshit for appointment to the Indian Police Service in pursuance of order dated 08.08.2013 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Guwahati Bench in O.A. No. 269/2012 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2nd proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate her to the Tripura Segment of Joint Manipur-Tripura Cadre under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

(Harish Chandra Rai) Under Secretary to the Government of India Tele No. 2309 2527

То

The Manager, Govt. of India Press, <u>Faridabad (</u>Haryana)

1 2 JAN 2015

New Delhi, the January, 2015

A copy each is forwarded to: -

No.I-14013/158/2012-IPS.I

- The Chief Secretary, Government of Tripura, <u>AGARTALA.</u> {Kind Attn. Shri. R. P. Datta, Addl. Secretary, GA(P&T) Deptt.} with one spare copy for the concerned officer.
- 2. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, **NEW DELHI**. (Kind Attn. Shri. G. C. Saha, Under Secretary, AIS) for information.
- 3. The Accountant General, Tripura, AGARTALA.
- 4. The Director General of Police, Tripura, AGARTALA.
- 5 IPS- II, III, IV / ACR Cell / Civil List Seat / Seniority Seat.
- 6. SO (IT) for uploading this notification on the website of MHA.

(Harish Chandra Rai) Under Secretary to the Government of India {भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड (॥), में प्रकाशनार्थ} आई-14013/158/2012-आई पी एस-1 भारत सरकार गृह मंत्रालय

1 2 JAN 2015 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक जनवरी, 2015

<u>अधिसूचना</u>

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गोहाटी पीठ द्वारा ओ0 ए0 संख्या 269/2012 में पारित दिनांक 08.08.2013 के आदेश के आलोक में दिनांक 29.09.2014 को आयोजित रिव्यू समिति की बैठक की अनुशंसा जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 24.12.2014 को अनुमोदित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरुप श्रीमती रमा रक्षित का नाम चयन सूची 2009 के क्रम संख्या- 01-A पर जो श्री प्रदीप पाल (क्रम संख्या-01) और श्री अरिंदम नाथ (क्रम संख्या- 02) के बीच में सम्मलित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य पुलिस सेवा की श्रीमती रमा रक्षित (जन्मतिथि: 21.05.1955) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत मणिपुर त्रिपुरा संवर्ग का त्रिपुरा खण्ड प्रदान करते हैं।

यह नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी ।

्हरीश चंद्र राय) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष : 2309 2527

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा) ।

1 2 JAN 2015

<u>सं. आई-14013/158/2012-आई पी एस-1 (II) नई दिल्ली दिनांक जनवरी, 2015</u> प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- मुख्य सचिव, त्रिपुरा, अगरतला (ध्यानार्थ: श्री आर0 पी दत्ता, अतिरिक्त सचिव, जीए (पी एण्ड टी) विभाग} संबंधित अधिकारी हेतु 1 अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 2 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी0 सी0 साहा, अवर सचिव, ए0 आई0 एस0) धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली ।
- 3 महालेखापाल, त्रिप्रा, अगरतला ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा, अगरतला ।
- 5 आई0 पी0 एस0 II/III/IV ए0सी0आर0 सेल, सिविल लिस्ट सीट, वरिष्ठता सीट I
- 6 अनुभाग अधिकारी (आई टी प्रकोष्ठ) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु ।

(हरीश^{-र्चे}द्र राय) अवर सचिव, भारत सरकार